**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 164**
**दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए**

**सीआरपीएफ हेतु आवास**

**†164. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार के पास केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों की आवास संतुष्टि बढ़ाने की कोई योजना है;**
**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**
**(ग) क्या सीआरपीएफ के लिए नए आवास बनाए जा रहे हैं; और**
**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?**
उत्तर

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (घ): जी, हां। विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में निर्माणाधीन 7774 पारिवारिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कार्मिकों के आवास की संतुष्टि के स्तर में और वृद्धि होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

**लो.स. अता. प्र.सं. 164 दिनांक 02.02.2021**

**<u>अनुलग्नक</u>**

**<u>सीआरपीएफ के विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन पारिवारिक आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा</u>**

| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम** | **पारिवारिक आवासों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 110 |
| 2. | तेलंगाना | 64 |
| 3. | असम | 429 |
| 4. | बिहार | 347 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 454 |
| 6. | दिल्ली | 392 |
| 7. | हरियाणा | 729 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 392 |
| 9. | झारखंड | 969 |
| 10. | केरल | 39 |
| 11. | कर्नाटक | 327 |
| 12. | महाराष्ट्र | 220 |
| 13. | ओडिशा | 348 |
| 14. | तमिलनाडु | 220 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 1952 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 782 |
| | **कुल** | **7774** |

*****